



# 7.1.1. Measures initiated by the Institution for the promotion of gender equity during the last five years.

- Specific facilities provided for women in terms of:
  - 1. Safety and security
  - 2. Counselling
  - 3. Common Rooms
  - 4. Day care center for young children
  - 5. Any other relevant information

Registrar
A.P.S University
Rewa (M.P.)

कमांक / अधि.छा.क. / 2022 / 123 रे

दिनांक 07-11-2022

### संशोधित अधिसूचना

आदेशानुसार, सत्र 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय में रैगिंग पर नियंत्रण हेतु विश्वविद्यालय स्तरीय समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) का गठन अधिसूचना क्रमांक / अधि.छा.क. / 2022 / 1227 दिनांक 14.10.2022 के द्वारा किया गया था जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है।

1	प्रो. एन.पी. पाठक, अधिष्ठाता महावि. विकास परिषद	संयोजक
2	प्रो शुभा तिवारी, आचार्य, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
3	प्रो. आर.एन. पटेल, विभागाध्यक्ष रसायन विज्ञान विभाग	सदस्य
4	प्रो. श्रीकान्त मिश्र, विभागाध्यक्ष दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
-	after A - A - A	11414
5	श्रीमती नीरजा नामदेव, उप कुलसचिव	सदस्य

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल। 1

सचिव / आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल। 2

उपसचिव विश्वविद्वालय अनुदान आयोग नई दिल्ली।

समिति के सम्माननीय सदस्यगण।

कुलपति जी के सचिव 5

कुलसचिव के निज सहायक 6

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

कमांक / अधि.छा.क. / 2021 / 1097

### अधिस्चना

आदेशानुसार, सत्र 2021-22 हेतु विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग की रोक थाम एवं निराकरण हेतु रैगिंग प्रतिरोध समिति (एटी रैगिंग कमेटी) का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

1	प्रो. आर.एन. सिंह,आचार्य गणित विभाग प्रो. सुनील तिवारी, आचार्य लाइफ लॉग लर्निंग विभाग		संयोजक
2			सदस्य
3	प्रो. मृणाल श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग		सदस्य
	एवं वार्डेन महिला छात्रावास	1 11	
4	प्रो. दिनेश कुशवाहा, विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग		सदस्य
5	प्रो. महेश चन्द्र श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष प्रा.भा. इतिहास एवं		सदस्य
	पुरातत्व विभाग एवं वार्डेन पुरूष छात्रावास		
6	विद्यार्थी प्रमुख, पुरूष छात्रावास		
7	विद्यार्थी प्रमुख, महिला छात्रावास		

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्-

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।

सचिव/आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।

उपसचिव विश्वविद्वालय अनुदान आयोग नई दिल्ली। 3

समिति के सम्माननीय सदस्यगण।

कुलपति जी के सचिव 5

कुलसचिव के निज सहायक

अधिष्ठाता छात्र

क्रमांक / अधि.छा.क. / २०२१ / १०१८

दिनाक

### अधिसूचना

आदेशानुसार, सत्र 2021—22 हेतु विश्वविद्यालय में रैगिंग पर नियंत्रण हेतु विश्वविद्यालय स्तरीय समिति (एटी रैगिंग कमेटी) का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

1	प्रो. अंजली श्रीवास्तव, अधिष्ठाता महावि. विकास परिषद	संयोजक
2	प्रो. आर.एन. पटेल, विभागाध्यक्ष रसायन विज्ञान विभाग	सदस्य
3	प्रो. अतुल पाण्डेय, विभागाध्यक्ष व्यावसायिक प्रबंधन	सदस्य
4	प्रो. श्रीकान्त मिश्र, विभागाध्यक्ष दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
5	श्रीमती नीरजा नामदेव, उप कुलसचिव	सदस्य

कुलसंचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।

2 सचिव/आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।

उपसचिव विश्वविद्वालय अनुदान आयोग नई दिल्ली।

4 समिति के सम्माननीय सदस्यगण।

5 कुलपति जी के सचिव

6 कुलसचिव के निज सहायक

Utal Panday अधिष्ठाता छात्र कल्याण

·Ary



क्रमांक / कार्मिक / 2022 / न 9 9

रीवा, दिनांक 03/10/2022

### अधिसूचना

डॉंंं महेन्द्र चन्द्र श्रीवास्तव, संचालक, शारीरिक शिक्षा विकास के विरुद्ध श्री विकास सिंह द्वारा की गई शिकायत के परीक्षण एवं अनुसंशा हेतु एक सदस्यीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

1. प्रो. आर.एम.मिश्रा विभागाध्यक्ष, पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग

संयोजक

प्रो. श्रीकान्त मिश्रा 2. विभागाध्यक्ष दर्शनशास्त्र विभाग

सदस्य

अतः अनुरोध है कि अनुसंशा एवं प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

प्रतिलिपि — सूचनार्थ्य एवं <u>आवश्यक</u> कार्यवाही हेता:— 1. प्रोo सुतील निवासी, विभागाध्यक्ष, नाइफ नाम लोडींग, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय रीवा

सहायक कुलसचिव (कार्मिक),अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय रीवा 2.

कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक 3.

सम्बन्धित नस्ती



क्रमांक / कार्मिक / 2022 / 853

रीवा, दिनांक 19/10/20

## अधिसूचना

एम.ए. मनोविज्ञान तृतीय सेमेस्टर के समस्त छात्रों से प्राप्त पत्र में अतिथि शिक्षक डॉ0 कल्पना पाण्डेय द्वारा द्वारा गाली गलौज के मैसेज भेजने सम्बन्धी जांच एवं परीक्षण हेतु समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

प्रो. रहस्यमणि मिश्रा 1. आचार्य / विभागाध्यक्ष पर्यावरण विभाग

संयोजक

2. प्रो.शुभा तिवारी आचार्य एवं विभागाध्यक्ष अग्रेंजी विभाग

सदस्य

3. प्रो.अतुल पाण्डेय आचार्ये एवं विभागाध्यक्ष व्यवसाय प्रशासन विभाग

सदस्य

कृपया उपरोक्त तथ्यों की जाँच कर प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

प्रो. रहस्यमणि मिश्रा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष पर्यावरण विभाग, अ०प्र० सिंह वि.वि. रीवा 1. 2.

प्रो.शुभा तिवारी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अग्रेंजी विभाग अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय रीवा

प्रो.अतुल पाण्डेय, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, व्यवसार प्रशासन विभाग अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय रीवा(म.प्र.) 4.

कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक सम्बन्धित नस्ती

5.

Adhisuchna ....

क्रमांक / प्रशासन / 2022 / 238

प्रक्टोरल बोर्ड (अध्यक्ष) प्रो. शुमा विवास, कुलानुसासक आचार्य, अंग्रेजी विमान अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, जिला रीवा (भाग

<b> </b>	नाम	विमाम	
1.	डॉ. कमलेश	रसायन विमाग	<b>46</b>
2.	डॉ. एस.पी. सिंह		exer Vant
3 .	डॉ श्रवण कुमार मिश्रा	एमबीए आईआर <b>एण्ड धोएम</b> विनाम अंग्रेजी विभाग	न्यस्य विनि
	डॉ नीती मिश्रा	TAX COLO	BSR7 95
	डॉ विजय मिश्रा	बायोकमेस्ट्री विमाय	BRE CLARE
	The state of the s	मौतिकी दिमाग	RA MILA
	डॉ श्रवण पाण्डेय	गणित विश्वाम	- N
	डॉ अल्का डिगवानी	Ode Day	The same
	डॉ रोशनी सि्द्दकी	विकारिका	- Real
1 20.00	हाँ शहा सिंह	ने दिस	ECH GO
	हाँ ज्योति पुण्डेव	and Repr	TOTAL MAL
	बॉ देक्द्रस सक्तेत		eces dell
	सुन्नी टिनेस्वते छुव	दर्भकारत दिस	-
		विश्वविद्यालय प्रशासक्रिक विश्वम	elian/wara
	पंकल कुष्ठवाहर	बेर देवीय केम्प्टर बर्वती बार्च	THE DIE
	ভাঁ पंকৰ শিক্ষা	इनकरचेटर बोकतीयो विकास	<b>经</b> 医结合性
	प्रान्जल मित्रा	बैश्यकी द्वितीय लेक्टर व्यापन विभाग	- Ten
	<b>डॉ जगजीत होर</b>	अंधि दिवस	THE LOCAL
	हाँ वालोंक निश्रा	d Am	HOM THE
and the same of th	वें ल्पेत दिवेदी	व्यक्तिक दिसम	स्टरन / विकाम
- 4	हाँ मूर्येन्द्र विवासी	. 100 HE - 12 - 12 HE -	स्ट्रस्व / विद्यार्थी
	or Transm	नीविकी दिनाम	acta Mm

प्रतिलिपि:- 1. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक। 2 सम्बन्धित नस्ती।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालयः, रीवा (पश्त्र०)

्रम् भाव आरू०एनवासह आर्हार्य, गणिताय विद्यान हिमाग

कार एकर एक जिलाही,

- ्र मिमात के सम्माननीय संयोजक एव सदस्यगण. १ बेट्स नियंत्रक, अ०प्र० सिंह वि०वि० रीवा
- जी के सचिव (पूलसचिव के निज

The same of 

इनाक / कार्मिक / 2018 / 378

रीवा, दिनांक 🤝 🕇 🛭 🗵

## अधिसूचना

प्रो अजय कुमार सक्सेना, आचार्य, भौतिकी विभाग के निलंबन आदेश कृमांक / कुलसचिय / 2018 / 850 दिनांक 16.3.2018 तथा जारी आरोप पत्र क्रमांक / कार्मिक / 2018 / 199 दिनांक 28.4.2018 के संबंध में परिनियम 31 तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत विहित प्रावधानों के संदर्भ में विभागीय जांच हेतु प्रोफंसर एन.पी. पाठक को जांच इंदिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

मिलिपि - सूचनार्थ एवं आयश्यक कार्यवाही हेतु :--

- 1. प्रोफेसर एन.पी.पाठक, आचार्य, व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग जांच अधिकारी
- 2 विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग।
- 3. प्रो अजय कुमार सक्सेना, निलम्बित आचार्य, दूरस्थ शिक्षा केन्द्र, अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
- 4 संचालक, दूरस्थ शिक्षा केन्द्र, अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
- 5 उपकुलसचिव (कार्मिक) / वित्त नियंत्रक।
- 6 जुलपित जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

<sup>7</sup> संबंधित नस्ती

\* v - v - t - v

अनुभाग अधिकारी (कार्मिक)

ì

क्रमांक / कार्मिक / 2018 / 43 4

रीवा दिनांक 0//08/१/६

## अधिसूचना

डॉ.कल्पना पाण्डेय, अतिथि विद्वान, मनोविज्ञान विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग है दिनाक 01 अगस्त 2018 को की गई अभद्रता को जाँच हेतु समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

प्रो शुभा तिवारी
 आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग

सयोजक

 डॉ.(श्रीमती) पुष्पा सोनवानी वित्त नियत्रक

सदस्य

समिति से अपेक्षा की जाती है कि जांच प्रतिवेदन 03 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप सं मननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करने का कब्ट करें

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- ः समिति के सयोजक एवं सदस्य, अ.प्र. सिंह दिश्वविद्यालय रीवा।
- 2. कुलपित जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक
- विंत्त विभाग।
- 4 राबंधित नस्ती

Adresona ....

अनुभाग्र-अधिकारी (कार्मिक) ।

क्रमांक / कार्मिक / 2020 /60 5

रीवा, दिनांक 2112.20

## अधिसूचना

श्री रजनीश मिश्रा, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा के पत्र दिनांक 20.10.2020 द्वारा श्री दिनेश सिंह सेंगर, स्थायीकर्मी के विरुद्ध शिकायती पत्र के परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु जॉच समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है—

- प्रोफेसर अतुल पाण्डेय, आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग लंबोजक
- 2 प्रोफेसर श्रीकान्त मिश्रा, आचार्य , दर्शनशास्त्र विभाग प्रदस्य
- प्रो० महेशचन्द्र श्रीवास्तव, आचार्य, प्राल्मा०इति० सदस्य सिवद/संचालक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

जनत संबंध में अनुरोध है कि शीघ्र बैठक आमंत्रित कर आवश्यक अभिमत अधोहस्ताक्षर कर्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

युलसचिष

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1. प्रोफेसर अतुल पाण्डेय, आचार्य, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग
- 2. प्रोफेसर श्रीकान्त मिश्रा, आचार्य , दर्शनशास्त्र विभाग
- प्रो० महेशचन्द्र श्रीवास्तव, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, प्रा०भा०इति०
- क्लपित जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
- 5. संबंधित नस्ती

उप कुलसचिव (कार्मिक)

1:6



मिक/2015/79g

रीवा, दिनांक 20-09-201

# अधिसूचना

अप्राप्त महिला एवं वाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लम भवन भौपाल के **प**रिपत्र क्रमांक एफ /50—2 भोपाल दिनांक 11.02.2014 के अनुपालन में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न म्रतिशेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 के अध्याधीन श्रीमती खेता पाण्डेय, एस.आर. प्रौद्योगिकी विभाग, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय रीवा के शिकायती आवेदन पत्र पर जांच कर प्रतिवेदन ने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है-

🖿 अंजली श्रीवास्तव, आचार्य अ.प्र. सिंह वि.वि. रीवा 🥯 सुनील कुमार तिवारी, आचार्य अ.प्र. सिंह वि.वि. रीवा पीठासीन अधिकारी/ संयोजक 🖦 आर0एन0 पटेल, आचार्य अ.प्र. सिंह वि.वि. रीवा सदस्य

श्रीमती प्रीति तिवारी, अध्यक्ष, रिस्पॉसिबिल सिटिजन, वेलफेयर सोसायटी रीवा म०प्र० – सदस्य

चोटः समिति से अनुरोध है कि आलोच्य प्रकरण पर जांच कर अपना प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतृर प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

(डॉ0 बी0 मारती कुलसचिव

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

प्रोo अंजली श्रीवास्तव, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, अogo सिंह विoविo रीवा ह्मो० सुनील कुमार तिवारी, आचार्य, लाइफ लांग लर्निंग विभाग अ०प्र० सिंह वि०वि० रीवा धो0 आर0एन0 पटेल, आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग अ०प्र0 सिंह वि०वि० रीवा ब्रीमती प्रीति तिवारी, अध्यक्ष, रिस्पॉसिबिल सिटिजन, वेलफेयर सीसायटी रीवा म०प्र० अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली, 110002 उप सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विमाग, वल्लभ भवन भौपाल जेला महिला सशक्तिकरण अधिकारी जिला रीवा म०५० लपित जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

उप कुलसचिव






NI UWO | EAM/2023 -

आवश्यक अभिलेख / दस्तावेज मं-07

7.1.1 (i) Security Guard के संलग्नीकरण का आदेश:—
Security Guard के संलग्नीकरण के संबंध में अनुबंध एवं कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न

Registrar
A.P.S University
Rewa (M.P.)



9 शतों के पालन न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के पास उचित कार्यवाही करने का अधिकार

10. जी.एस.टी. का भुगतान शासकीय नियमों के अनुरूप देय होगा।

11 दोनों पक्षों की सहमति से अनुबन्ध की समयावधि में वृद्धि की जा सकेगी।

12. परिसर एवं स्टेडियम परिसर में किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति का पूर्ण उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष

उक्त अनुबंध में वर्णित शर्तों को स्वस्थ्य चित्त से दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर अपने—अपने हस्ताक्षर गवाहों के समक्ष आज दिनांक 31\5\2021को निष्पादित कर दिये है ताकि सनद रहे वक्त पर काम आवे।

हस्ताक्षर ( प्रथम पक्ष)

कुल सचिव अ.प्र. सिंह वि.वि. रीवा

- हस्ताक्षक हिताय प्रमा बुजेस्क सिंह

नीगा सिक्योरिटी सर्विसेस इण्डिया प्रा०लि० रीवा (म०प्र०)

गवाह 1-याद्भ व द्वासिंह-चाहान

उपयेग) अन्य मिंह विग्वि गवाह 2 - उमिला प्रसाद बेर्य कार्य सम्हायक उनक यह विसेत्र कि देव

### करारनामा / अनुबन्ध

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शिवा (म०प्र०) के परिसर/कार्यालयों एवं प्रशासनिक भवन मुख्य कार्यालय, कुलपति कार्यालय आदि शैक्षणिक परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुबन्ध प्रथमतः दिनांक 01/06/2021 से दिनांक 31/05/2023 तक दिनांक 21/5 2021 को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शिवा (म०प्र०) की ओर से कुलसचिव (प्रथम पक्ष)

### और

मेसर्स नीगा सिक्योरिटी सर्विसेस इण्डिया प्राoलिं० की ओर से डायरेक्टर श्री बृजेन्द्र सिंह (द्वितीय पक्ष) के मध्य अनुबन्ध सुरक्षा कार्य हेतु उल्लेखित दर एवं शर्तों के आधीन सम्पादित किया गया।

- 1. सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष का कर्तव्य होगा कि परिसर/कार्यालयों एवं प्रशासनिक भवन, मुख्य कार्यालय, कुलंपित कार्यालय आदि शैक्षणिक परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
- 2. हितीय पक्ष, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा मान्य एक दरें 9765.01 प्रति सुरक्षा कर्मी रूपये प्रति व्यक्ति / प्रतिमाह की दर से सुरक्षा कर्मियों को भुगतान करेगा अर्थात् लगाये गये 30 (तीस) सुरक्षा-कर्मियों का भुगतान करना होगा एवं सुरक्षा कर्मियों की संख्या आवश्यकतानुसार दोनी पक्षों की सहमित से बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
- 3. द्वितीय पक्ष अपने कर्मचारियों /अधिकारियों को विभिन्न प्रचलित श्रम अधिनियमों तथा समस्त अन्य प्रभावशील अधिनियम एवं नियम जो सुरक्षा ठेके के संबंध में लागू हो के अन्तर्गत वैधानिक भुगतान के लिये उत्तरदायी होंगे तथा प्रत्येक माह के भुगतान का लेखा ,ई.पी.एफ. / ई.एस.आई. / जी.एस.टी. जमा करने के चालान तथा अन्य श्रम कानून के अन्तर्गत भुगतान की चालान की प्रति प्रथम पक्ष को अनिवार्यतः प्रत्येक माह उपलब्ध करायेंगे।
- 4. द्वितीय पक्ष सुरक्षा कर्मी / कर्मचारियों के भविष्य निधि बीमा की सम्पूर्ण जबावदारी द्वितीय पक्ष की होगी सुरक्षाकर्मी को प्रतिमाह किये गये वेतन भुगतान पत्रक को (सैलरी स्टेटमेन्ट) छायाप्रति प्रथम पक्ष के साथ हर माह अनिवार्यतः जमा करेगा।

र्भ. सम्य-समय पर जिलाध्यक्ष द्वारा परिवर्तित दरें परिश्रमिक में प्रभावी एव परिवर्तनशील होगीं ।

6. द्वितीय पक्ष हर माह की अन्तिम तारीख तक विश्वविद्यालय को देयक प्रस्तुत करेगा। देयक प्रस्तुत करने में देरी होने पर भुगतान के विलम्ब की जबावदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

र्ग. निविदा की सभी शर्ते अनुबन्ध का अंग होगी।

कमश

your 5 2

200 3.5.2

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०) रीवा, दिनांक.

क्रमांक/वि./यॉ./2021/..... 52

प्रति.

मेसर्स नीगा सिक्योरिटी सर्विसेस इण्डिया प्रा०लि० शाप न.01 प्रथम तल शान्ती कुटीर कॉम्पलेक्स आकृति टाकीज रोड,रीवा (म०प्र०)

विषय:-

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने बावत्।

कार्यालयीन ई-निविदा क्र. 2021\_APSU\_135105\_1दिनांक 15/03/2021 के अनुक्रम में।

उपर्युक्त विषय में संदर्भित ई-निविदा के संबंध में लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा में उल्लेखित वरों को विश्वविद्यालय द्वारा गठित क्रय समिति द्वारा अनुशंसित किये जाने के फलस्वरूप आपको आदेशित किया जाता है कि संदर्म:-परा पर्या परपापचालप क्षारा जाठत अन्य सामारा क्षारा अपुरातरता पर्य जात पर मरदारपच्य जावपरा जापारात पर्या जाता ह निविदा में उल्लेखित दर एवं शर्तों के अनुसार इस संस्था की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कुल 30 ( तीस ) सुरक्षा गार्ड (डंडाधारी) निवांक 01/06/2021 से 31/05/2023 तक कुल दो वर्ष के लिए अनुबंध करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

विनांक 01/06/2021 से 31/05/2023 तक कुल दो वर्ष के लिए अनुपन प्रति व्यक्ति प्रति माह (ई.	पी.एफ .ई. जैस जोडकर कुल
क. विवरण सुरक्षा व्यवस्था की कार्याविध प्रति व्यक्ति प्रति मीह (इ. एस.आइ.सी. पॉलिसी,/सर्विस चा	(d) (1 of 4 · · · o
श्र.	गार्ड(डंडाधारी)
1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
(डंडाधारी) दीपहर 2.00वर्ज से सुबह 6.00 बजे तक	
	3 A

- विश्वविद्यालय में लगाये गये सभी सुरक्षा गार्ड की निगरानी विश्वविद्यालय स्तर पर यत्री (वि/यां) विभाग के द्वारा समय—समय पर की जावेगी। यदि सुरक्षा कार्यों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपका आदेश तत्काल
- सभी सुरक्षा गार्ड का ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी, जी.एस.टी. पालिसी का कटौत्री का पत्रक प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा। निरस्त कर दिया जावेगा।

सभी सुरक्षा कर्मी निर्धारित वर्दी एवं उचित पहचान पत्र धारक रहेंगे। 2

- लगाये गये सभी सुरक्षा कर्मियों का पुलिस सत्यापन चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। लगाये गये सभी सुरक्षा कर्मियों का पुलिस सत्यापन चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। लगाये गये सभी सुरक्षा कर्मियों का शक्षाणिक प्रमाणपत्र फोटो पहचान पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है।
- क्षापके द्वारा सुरक्षा कर्मी को टार्च,सीटी एवं बरसात में रैनकोट उपलब्ध कराये जायेंगे।
- आपके द्वारा प्रस्तुत देयक में पैन नम्बर अनिवार्य होगा।
  - कुलपति जी के पास बिना किसी कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- उपरोक्त आदेश कार्यालयीन अनुबंध दिनांक 31.5.2021के अध्याधीन होगा।

आदेशानुसार-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:--

1. वित नियंत्रक अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा

2. सहायक संचालक आवासीय संपरीक्षा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा

कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा

द्युंत यांत्रिकी विश्वविद्यालय यात्री

(परिसेर / सुरक्षा)